प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला– दौसा, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर, वर्ष–2022
   प्र0सू0रि0 सं. 135/22 दिनांक 20/4/2022
2. (I) अधिनियमः–धारायें 13(1)(सी)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं 409, 120बी भा.दं.सं.
   (II) अधिनियम .... धारायें
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0........................
3. रोजनामचा आम रपट संख्या 368 समय 1:30pm
   (ब) अपराध घटने का दिन व दिनांक–वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांकः–16.02.2016
4. सूचना की किस्म :– सूत्र सूचना
5. घटना स्थलः–ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–ए.सी.बी. चौकी दौसा से करीब 50 कि0मी0, उत्तर–पूर्व दिशा में
   (ब) पता – ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा
   बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....
6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम–श्री कृष्णकान्त शर्मा
   (ब) पिता/पति का नाम–
   (स) जन्म तिथी/वर्ष – करीब 62 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय–तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस (हाल सेवानिवृत्त)
   (ल) पता– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –
   1–श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री रामकिशन मीणा, जाति मीणा, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम निहालपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा तत्कालीन व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा
   2–श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रतनलाल, जाति मीणा, निवासी भैदाडी मीणान, तह. बसवा, तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
   राशिः– अपने–अपने पद का दुरूपयोग कर राशि 3,50,42,960/–रूपये का गबन करना
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य–अपने–अपने पद का दुरूपयोग कर राशि 3,50,42,960/–रूपये का गबन करना
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 16.02.16 को श्री कृष्णकान्त, तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो दौसा द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, बांदीकुई की आकस्मिक चैकिंग की गई थी। आकस्मिक चैकिंग के दौरान श्री राजेश शर्मा, प्रशासक एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा, व्यवस्थापक निहालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निहालपुरा, पंचायत समिति दौसा से वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि के दौरान वभिन्न प्रकार के ऋण वितरण से संबंधित मूल रिकार्ड एवं समिति की ऑडिट रिपोर्ट एवं विशेष ऑडिट

रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर श्री मुकेश मीणा, तत्कालीन व्यवस्थापक, निहालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा एवं अन्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान समिति के सदस्यों को वितरण किये गये अल्पकालीन फसली ऋण एवं खाद के वितरण में अपने पदीय अधिकारों का दुरूपयोग कर राजकीय कुल राशि 3,50,42,960/–रूपये का दुरूपयोग एवं गबन करना, समिति सदस्य कृषकों की साख सीमा निर्धारण करने मे अनियमितता बरतना, बिना साख सीमा निर्धारण के ही ऋण वितरण करना, मृत कृषकों के नाम पर रिकॉर्ड मे मिथ्या ऋण वितरण करना दर्शाना, इत्यादि तथ्य आकस्मिक चैकिंग कार्यवाही से प्रथम दृष्ट्या पाया जाने पर ब्यूरो में प्राथमिक जांच सं. 26/16 दिनांक 17.06.2016 पंजीबद्ध की गई। उक्त प्राथमिक जांच की जांच के दौरान निहालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निहालपुरा, पंचायत समिति दौसा से लिये गये रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट, बयानात, पुलिस थाना बांदीकुई में दर्ज संबंधित एफ.आई.आर. व उनमें पेश किये गये चालान/एफ.आर. की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। जांच से पाया कि निहालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा की वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–2015 तक की ऑडिट श्री ताराचन्द

मेहरा, निरीक्षक (ऑडिट) सहकारी समितियाँ दौसा द्वारा माह दिसम्बर 2015 से जनवरी 2016 तक की गई है, जिसमें उन्होंने निम्नानुसार राशि का समिति के श्री मुकेश मीणा तत्कालीन व्यवस्थापक, श्री बनवारी लाल मीणा तत्कालीन अध्यक्ष निहालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निहालपुरा, पंचायत समिति बाँदीकुई जिला दौसा द्वारा अनियमितता कर गबन करना अपनी ऑडिट रिपोर्ट मे अंकित किया है :–

क्र.सं.	मद	गबन की राशि
1	ऑडिट वर्ष 2013–14 के अनुसार समिति मे गत रोकड कम तोड कर गबन राशि	18,90,666
2	ऑडिट वर्ष 2013–14 मे गत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 – 12 मे 3,55,005.5 रूपये एवं वर्ष 2012–13 मे 3,93,064 रूपये के अवधि पार ब्याज एवं कम ब्याज वसूली राशि	7,48,069.50
3	ऑडिट वर्ष 2013–14 मे ऋण वितरण के अनुपात मे हिस्सा राशि कम वसूल कर समिति मे कम जमा की गई राशि	6,05,000
4	ऑडिट वर्ष 2013–14 मे रोकड कम तोड कर गबन की गई राशि	2,61,042
5	ऑडिट वर्ष 2013–14 मे ऋण वितरण मे निम्न प्रकार गबन एवं अनियमतता के मामले पाये गये है:– अ – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा 127 सदस्यों को उनकी निर्धारित की गई साख सीमा से राशि 23,19,815 रूपये का अधिक ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। ब – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा 164 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 59,28,254 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। स – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा अपने स्वंय के परिवार के 05 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 4,70,696 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। द – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा समिति अध्यक्ष श्री बनवारी लाल मीणा के परिवार के 04 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 3,12,301 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। य – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा 05 मृतको के नाम पर राशि 3,73,745 रूपये का ऋण वितरण कर दर्शाकर उक्त राशि का स्वंय द्वारा गबन करना। र – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा समिति के कार्यक्षैत्र से बाहर के 03 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 2,26,047 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई।	1,23,12,094

	ल – अवधि मे व्यवस्थापक स्वंय के द्वारा विभिन्न समिति के सदस्यों के नाम पर ऋण वितरण करना दर्शाकर उनको वास्तविक रूप से ऋण का वितरण नही कर उनके नाम ऋण वितरण दर्शाई गई राशि 16,16,027 रूपये स्वंय द्वारा ही प्राप्त कर राशि का अपहरण एवं गबन करना पाया गया है। व – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा राशि 2,59,745 रूपये की वसूली का रोकड मे इन्द्राज नही कर उक्त राशि को समिति खातो मे जमा दर्शाकर स्वंय द्वारा उक्त राशि का अपहरण एवं गबन करना पाया गया है। उपरोक्तानुसार कुल राशि 01,15,06,630 रूपये एवं इसका नियमानुसार ब्याज 8,05,464 रूपये की भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नामे लिखकर धोखाधडी एवं उक्त राशि का दुरूपयोग एवं गबन करना।	
6	ऑडिट वर्ष 2013–14 मे व्यवस्थापक द्वारा राशि 59,484.50 रू. अवधि पार ब्याज की वसूली कर भारत सरकार एवं राज सरकार के नामे लिखकर उक्त राशि का स्वंय द्वारा गबन करना।	59,484.50
7	ऑडिट वर्ष 2013–14 मे व्यवस्थापक द्वारा राशि 2,21,019 रू. मियादी जमा व्यक्तिगत अधिक भुगतान करना रिकार्ड मे दर्शाकर राशि का अपहरण एवं गबन करना।	2,21,019
8	ऑडिट वर्ष 2014–15 मे व्यवस्थापक द्वारा राशि 2,57,000 रूपये बचत खाते दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा बांदीकुई से प्राप्त कर रोकड मे दर्ज न कर उक्त राशि का स्वंय द्वारा गबन करना।	2,57,000
9	ऑडिट वर्ष 2014–15 मे व्यवस्थापक द्वारा राशि 18,513 रूपये की खाद बिक्री रोकड मे दर्ज न कर उक्त राशि का स्वंय द्वारा गबन करना।	18,513
10	ऑडिट वर्ष 2014–15 मे ऋण वितरण मे निम्न प्रकार गबन एवं अनियमतता के मामले पाये गये है:– अ – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा 127 सदस्यों को उनकी निर्धारित की गई साख सीमा से राशि 31,02,510 रूपये का अधिक ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। ब – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा 164 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 86,91,297 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। स – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा अपने स्वंय के परिवार के 05 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 7,30,848 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। द – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा समिति अध्यक्ष श्री बनवारी लाल मीणा के परिवार के 04 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 1,88,602 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। य – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा 05 मृतको के नाम पर राशि 7,40,550 रूपये का ऋण वितरण कर दर्शाकर उक्त राशि का स्वंय द्वारा गबन करना। र – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा समिति के कार्यक्षैत्र से बाहर के 03 सदस्यों को बिना साख सीमा निर्धारण के ही राशि 4,70,330 रूपये का ऋण वितरण कर अनियमितता बरती गई। ल – अवधि मे व्यवस्थापक स्वंय के द्वारा विभिन्न समिति के सदस्यों के नाम पर ऋण वितरण करना दर्शाकर उनको वास्तविक रूप से ऋण का वितरण नही कर उनके नाम ऋण वितरण दर्शाई गई राशि 32,99,786 रूपये स्वंय द्वारा ही प्राप्त कर राशि का अपहरण एवं गबन करना पाया गया है। व – अवधि मे व्यवस्थापक द्वारा राशि 6,87,809 रूपये की वसूली का रोकड मे इन्द्राज नही कर उक्त राशि को समिति खातो मे जमा दर्शाकर स्वंय द्वारा उक्त राशि का अपहरण एवं गबन करना पाया गया है। उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,79,11,732 रूपये एवं इसका नियमानुसार ब्याज राशि 7,58,340	1,86,70,072

	रूपये की भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नामे लिखकर धोखाधडी एवं उक्त राशि का दुरूपयोग एवं गबन करना।	
	उपरोक्तानुसार कुल राशि :–	3,50,42,960

इस प्रकार श्री मुकेश मीणा तत्कालीन व्यवस्थापक एवं श्री बनवारी लाल मीणा तत्कालीन अध्यक्ष निहालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड निहालपुरा, पंचायत समिति बाँदीकुई जिला दौसा के द्वारा समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान समिति के सदस्यों को वितरण किये गये अल्पकालीन फसली ऋण एवं खाद मे उपरोक्तानुसार अनियमितताये कर भारत सरकार एवं राज्य सरकार की राजकीय कुल राशि 3,50,42,960/–रूपये का दुरूपयोग एवं गबन करना उपरोक्त वित्तीय वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट से साबित है। उपरोक्त ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड दौसा द्वारा अपने स्तर से एक जाँच कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा जाँच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें उन्होनें श्री मुकेश मीणा, निलम्बित व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 23.7.2015 से 25.8.2015 तक की अवधि मे कुल राशि 17,60,000/–रूपये जमा कराने के बाद कुल राशि 69,12,398/–रूपये बकाया होने के कारण उसके विरूद्ध थाने मे एफ. आई.आर. दर्ज करवाने बाबत लिखकर भिजवाया। जांच से श्री रामखिलाडी मीना, निवासी निहालपुरा तहसील बसवा जिला दौसा द्वारा दिनांक 12.5.2014 को माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट बांदीकुई के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर पुलिस थाना बाँदीकुई मे श्री मुकेश मीणा तत्का. व्यवस्थापक, श्री बनवारी लाल, तत्का. अध्यक्ष व अन्य के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 274/15 पंजीबद्व करवाया था, जिसमें बाद अनुसंधान आरोपी श्री मुकेश मीना तत्का. व्यवस्थापक, द्वारा समिति से अपने स्वंय एवं अपने परिवारजनों के नाम से अनाधिकृत रूप तथा 04 मृतको के नाम पर कुल ऋण राशि 18,12,931 रूपये उठाकर राजकीय राशि का दुर्विनियोग करना प्रमाणित मानते हुये चार्जशीट सं. 03/16 दिनांक 10.01.2016 अन्तर्गत धारा 409, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. के तहत पेश की गई। श्री मुकेश मीणा, तत्कालीन व्यवस्थापक के विरूद्व स्थानीय पुलिस थाना बांदीकुई मे दर्ज उक्त प्रकरण मे गिरफ्तार होने एवं ऑडिट रिपोर्ट से राशि का गबन करना पाया जाने पर उन्हे निलम्बित कर समिति की प्रबन्ध कार्यकारणी समिति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30 के तहत माह 08 जनवरी 2016 में पूर्व में भंग कर प्रशासक नियुक्त किया जाना पाया गया। इस प्रकार आकस्मिक चैकिंग व प्राथमिक जांच की जांच से परीक्षणोपरान्त श्री मुकेश मीणा पुत्र श्री रामकिशन मीणा, जाति मीणा, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम निहालपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा तत्कालीन व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा एवं श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रतनलाल, जाति मीणा, निवासी भैदाडी मीणान, तह. बसवा, तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान समिति के सदस्यों को वितरण किये गये अल्पकालीन फसली ऋण एवं खाद वितरण में अपने पदीय अधिकारों का दुरूपयोग कर राजकीय कुल राशि 3,50,42,960/–रूपये का दुरूपयोग एवं गबन करना, समिति सदस्य कृषकों की साख सीमा निर्धारण करने मे अनियमितता बरतना, बिना साख सीमा निर्धारण के ही ऋण वितरण करना, मृत कृषकों के नाम पर रिकॉर्ड मे मिथ्या ऋण वितरण करना दर्शाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं 409, 120बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
दौसा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश कुमार सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 120बी भादसं में अभियुक्तगण 1. श्री मुकेश मीणा, तत्कालीन व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा एवं 2. श्री बनवारी लाल, तत्कालीन अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि. निहालपुर, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 135/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

20/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक– 1193–98 दिनांक 20.4.2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क.स.–2
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रशासक, ग्राम सेवा सहकारी सिमिति लिमि. निहालपुरा, पंचायत समिति बांदीकुई, जिला दौसा।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,(प्रा.जा.–26/16), जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।